



भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

नोएडा-दादरी रोड, फेज-2, नोएडा - 201305 (उत्तर प्रदेश)
दूरभाष (जोन कार्यालय): 0120 - 2567268-70 (3 लाइनें), फैक्स: 2562314, 2567276
ईमेल <dc@nsez.gov.in>: वेबसाइट: www.nsez.gov.in

फा० सं० 10/06/2022-SEZ/

दिनांक: 12/06/2024

(ई मेल के माध्यम से)

सेवा में,

1. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110001।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली - 110002.
3. आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश- 201306.
4. प्रधान आयुक्त, आयकर, प्लॉट सं- ए-2 डी, आयकर भवन, सेक्टर- 24, नोएडा।
5. उपसचिव (आई एफ - 1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नोएडा।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं 01, नॉलेज पार्क- 4, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, (उत्तर प्रदेश)।
8. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा।
9. उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण, कालिन्दी कुञ्ज, जी टी रोड, खुर्जा - 203131 (उत्तर प्रदेश)।
10. संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता / सह-विकासकर्ता।

विषय: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 06/06/2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 06/06/2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

भवदीय,

(गया प्रसाद)

उप विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
2. वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
3. सम्बंधित विनिर्दिष्ट अधिकारी।

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में 06.06.2024 को सुबह 11:30 बजे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुरजा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का विवरण।

बैठक में अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

- i. श्री एस.के. राव, सीमा शुल्क अधीक्षक, नोएडा।
- ii. श्री मयंक, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा।
- iii. श्री जगदीश चंद्र, एफटीडीओ, कार्यालय विदेश व्यापार महानिदेशालय, सीएलए, नई दिल्ली।
- iv. श्री रणवीर सिंह, आयकर अधिकारी, नोएडा।

- इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी (ii) श्री ग्या प्रसाद, उप विकास आयुक्त, (iii) श्री प्रकाश चंद्र उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त; और (iv) श्री सुनील गुलयानी, आशुलिपिक/संबंधित कर्मचारी भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।
- आरंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के पश्चात, कार्यसूची पर क्रमिक रूप से चर्चा की गई। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श तथा आवेदकों/विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के पश्चात, सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1. दिनांक 02.05.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-

चूंकि दिनांक 02.05.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति के किसी भी सदस्य या व्यापार से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए दिनांक 02.05.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 2: नई इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव।

2.1 मेसर्स होराइजन ट्रेडलिंक्स (अर्शिया एसईजेड)

2.1.1 मेसर्स होराइजन ट्रेडलिंक्स ने ग्राम इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, जिला- बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) में अर्शिया नॉर्दर्न मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र लिमिटेड बहु क्षेत्र एसईजेड में एक इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें " भंडारण, लेबलिंग के साथ या उसके बिना व्यापार, किसी प्रसंस्करण के बिना पैकिंग या पुनः पैकिंग, पूरी तरह से नॉक डाउन या सेमी नॉक डाउन किट की असेंबली" का कार्य किया जाएगा। यह आवेदक द्वारा प्रस्तुत 4 अंकों वाले एचएस कोड वाले 30 उत्पादों के लिए था। आवेदक ने पांच वर्षों की अवधि में 87.54 लाख रुपये के संचयी एनएफई के साथ 136.38 लाख रुपये के निर्यात का अनुमान लगाया था। आवेदक ने 80.50 लाख रुपये की स्वदेशी निविष्ट सेवाओं का प्रस्ताव दिया था। आवेदक ने एसईजेड में 185.80 वर्ग मीटर (2000 वर्ग फीट) स्थान के लिए विकासक द्वारा जारी सहमति पत्र की एक प्रति दिनांक 10.05.2024 को प्रस्तुत की।

2.1.2 आवेदक से निम्नलिखित दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है:-

- i. आवेदक को फॉर्म-एफ के पैरा-V के अनुलग्नक-1 में 8 अंकों के एचएस कोड के साथ वस्तुओं की पूरी सूची प्रस्तुत करनी होगी। (सूची वर्तमान में एचएस4 अंक स्तर पर प्रस्तुत की गई है)



- II. डीजीएफटी.जीओवी.इन (dgft.gov.in) पर उपलब्ध आयात नीति 2022 के अनुसार, निम्नलिखित एचएसएन कोड के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं आयात के लिए 'प्रतिबंधित' हैं:-
 - a. एचएसएन कोड 3301 - 33013010 के अंतर्गत;
 - b. एचएसएन कोड 8528, 85287211 से 885287219 के अंतर्गत; तथा
 - c. एचएसएन कोड 8471 - 84713010, 84713090, 84714110, 84714120, 84714190, 84714900 और 84715000 के अंतर्गत।
- III. डीजीएफटी.जीओवी.इन (dgft.gov.in) पर उपलब्ध निर्यात नीति 2018 के अनुसार, एचएस एन कोड 33013010 (अगर तेल) और एचएसएन 33012937 (चंदन तेल) के तहत माल निर्यात के लिए 'प्रतिबंधित' हैं - नीति शर्त के साथ कि लाइसेंस के तहत निर्यात की अनुमति है।
- IV. पंजीकृत भागीदारी विलेख की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- V. फॉर्म-एफ के पैरा VIII(2) में निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता 100.00 वर्गमीटर बताई गई है, जबकि विकासक ने 2000 वर्ग फीट (185.80 वर्गमीटर) के आवंटन के लिए सहमति पत्र जारी किया है।
- VI. प्रस्तावित 48.46 लाख रुपए के विदेशी मुद्रा व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
- VII. परियोजना की लागत और वित्त के साधन नहीं दिए गए हैं;
- VIII. प्रस्तावित 80.50 लाख रुपए की स्वदेशी इनपुट सेवाओं की सूची, जिसमें 67 सेवाओं की डिफॉल्ट सूची के अनुसार विवरण दिया गया है, प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
- IX. आयकर विभाग से संबंधित विवरण भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- X. श्री मोहन लाल अरोड़ा, भागीदार का पासपोर्ट दिनांक 06.03.2024 को समाप्त हो गया है, इसलिए इसकी वैध प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- XI. फॉर्म-एफ में, क्रम संख्या XII(iv) के सामने, आवेदक ने 'एनए' का उल्लेख किया है, जबकि उत्तर हां या नहीं में दिया जाना चाहिए।
- XII. इकाई और उसके भागीदारों के पंजीकरण के समर्थन में इकाई के रजिस्ट्रार द्वारा जारी फॉर्म-ए और बी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2.1.3 मेसर्स होराइजन ट्रेडलिंक्स के भागीदार श्री हरमेश अरोड़ा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उन्हें इस कार्यालय द्वारा जारी कमी पत्र प्राप्त हो गया है और वे प्रस्तावित वस्तुओं के 8 अंकों के एचएस कोड के साथ उचित उत्तर जल्द से जल्द प्रस्तुत करेंगे, जिसमें 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' वस्तुएं शामिल नहीं हैं। उन्होंने आगे बताया कि वे और उनके पिता श्री मोहन लाल अरोड़ा इस फर्म में भागीदार हैं। बना बनाया कपड़े के क्षेत्र में व्यापारी निर्यातक के रूप में उनकी दो अन्य फर्म हैं और यह वह क्षेत्र होगा जिस पर वे शुरुआत में भंडारन के लिए ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि प्रस्तावित मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र इकाई में वे अपने ग्राहकों के निर्देशों के अनुसार उनके आइटमों का भंडारन, पैकेजिंग, री-पैकेजिंग, लेबलिंग आदि करेंगे।

2.1.4 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और प्रस्तावित व्यापार योजना सहित उचित विचार-विमर्श के बाद, अधिकृत गतिविधियों को करने के लिए इकाई की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, यानी एचएस कोड 5205, 5206, 5208, 5209, 5210, 5211 और 5903 वाले सामानों के संबंध में ' भंडारन, लेबलिंग के साथ या उसके बिना व्यापार, किसी प्रसंस्करण के बिना पैकिंग या पुनः पैकिंग, पूरी तरह से नॉक डाउन या सेमी नॉक डाउन किट की असेंबली'। हालाँकि, इस स्वीकृति में आयात और निर्यात के लिए 'प्रतिबंधित' और 'निषिद्ध' सामान शामिल नहीं होंगे, जो कि एसईजेड नियम, 2006 के नियम 18(5) के अनुसार सख्ती से लागू होंगे। यह स्वीकृति ऊपर पैरा 2.1.2 में बताए गए दस्तावेजों/सूचनाओं को प्रस्तुत करने के अधीन भी है। स्वीकृति निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है:-

- i. विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत आयात और निर्यात के लिए "निषिद्ध/प्रतिबंधित" उत्पादों की अनुमति नहीं दी जाएगी।



- ii. इकाई के अधिकृत परिचालन का दायरा एसईजेड नियम, 2006 के नियम 18(5) के अनुसार सख्ती से लागू होगा।
- iii. एसईजेड नियम, 2006 के नियम 18(5) के प्रावधानों के अनुसार सभी लेन-देन केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में ही होंगे।
- iv. समय-समय पर जारी विदेश व्यापार महानिदेशालय अधिसूचनाओं/सार्वजनिक नोटिस/निर्देशों के अनुसार बंदरगाह प्रतिबंध लागू होंगे।
- v. इकाई को आयात/निर्यात के लिए संबंधित केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों/विभागों और विदेश व्यापार महानिदेशालय की आयात नीति सहित संबंधित प्राधिकरणों से आवश्यक 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करनी होगी।

मद संख्या 3: इकाई के क्षेत्र के विस्तार / आंशिक विलोपन का प्रस्ताव:

3.1 मेसर्स गेमिंग लैबोरेटरीज इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

3.1.1 मेसर्स गेमिंग लैबोरेटरीज इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक श्री हरिंदर ग्रेवाल और सलाहकार श्री आशीष झगरावत बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इकाई को ग्राउंड फ्लोर, विंग-बी, बिल्डिंग नंबर बी-1 के मौजूदा स्थान से प्रस्तावित अतिरिक्त स्थान पर स्थानांतरित करने की योजना बनाई है, हालांकि इसमें कुछ समय लगेगा। इसलिए, वे इकाई को नए स्थान पर स्थानांतरित करने तक मौजूदा स्थान को बनाए रखेंगे। नए स्थान पर स्थानांतरित होने से पहले वे मौजूदा स्थान को आंशिक रूप से हटाने के लिए आवेदन करेंगे।

3.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और विचार-विमर्श के बाद मेसर्स गेमिंग लैबोरेटरीज इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें विंग-बी/1, बिल्डिंग नंबर बी-2 के ग्राउंड फ्लोर पर 14500 वर्ग फीट का अतिरिक्त क्षेत्रफल जोड़ने और अनुमानों में संशोधन करने का प्रस्ताव था। यह प्लॉट संख्या 08, सेक्टर-144, नोएडा (उप्र) में गोल्डन टॉवर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड में स्थित इकाई के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है: -

- (रुपये लाख में)

विवरण (5 वर्ष के लिए)	मौजूदा अनुमान	संशोधित अनुमान
निर्यात का एफओबी मूल्य	5278.56	13369.20
विदेशी मुद्रा निकासी	850.00	850.00
निवल विदेशी मुद्रा आय	4528.56	12519.20
आयातित पूंजीगत सामान	100.00	100.00
स्वदेशी पूंजीगत सामान	154.63	182.75
आयातित इनपुट सेवाएं	0.00	0.00
स्वदेशी इनपुट सेवाएं	467.11	9202.93
रोजगार अनुमान	50 संख्या	88 संख्या

3.1.3 समिति ने इकाई के प्रतिनिधि को निर्देश दिया कि वे उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि (डीसीपी) को रिकॉर्ड में लेने के लिए इस कार्यालय के पत्र दिनांक 25.10.2023 और उसके बाद के पत्र दिनांक 26.12.2023 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें।

3.2 मेसर्स आईईएस मार्टटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

3.2.1 मेसर्स आईईएस मार्टटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लेखा परीक्षक श्री आदित्य कौशिक और सलाहकार श्री आशीष झगरावत बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।



3.2.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद 'विभाग-बी/2, भवन संख्या बी-2' के द्वितीय तल पर 6000 वर्ग फीट क्षेत्र को आंशिक रूप से हटाने तथा प्रक्षेपण में कमी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह गोल्डन टॉवर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड, प्लॉट संख्या 08, सेक्टर-144, नोएडा (यू.पी.) में स्थित इसकी इकाई के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है:-

-(रुपये लाख में)

विवरण (5 वर्ष के लिए)	मौजूदा अनुमान	संशोधित अनुमान
अनुमानित निर्यात	20227.13	6100.00
विदेशी मुद्रा निकासी	1089.84	300.00
निवल विदेशी मुद्रा आय	19137.29	5800.00
आयातित पूंजीगत सामान	78.48	25.00
स्वदेशी पूंजीगत सामान	313.93	95.00
आयातित इनपुट सेवाएं	1011.36	275.00
स्वदेशी इनपुट सेवाएं	7443.68	2200.00
रोजगार अनुमान	130 संख्या	40 संख्या

3.2.3 इकाई को हटाए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी से 'अदेयता प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3.3 मेसर्स न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

3.3.1 अनुमोदन समिति ने इस कार्यालय के दिनांक 22.05.2024 के पत्र के तहत मेसर्स न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को '9वीं मंजिल, बिल्डिंग नंबर 7 पर 20400 वर्ग फीट क्षेत्र' को आंशिक रूप से हटाने के लिए अंतरिम अनुमोदन की पुष्टि की। यह सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आईटी/आईटीईएस एसईजेड, प्लॉट संख्या 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित इसकी इकाई के संबंध में है।

मद संख्या 4: एफटीडब्ल्यूजेड इकाई के एलओए में मदों को शामिल करने का प्रस्ताव:

4.1 मेसर्स एक्सेलरेट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

4.1.1 मेसर्स एक्सेलरेट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री संदीप टी. शेजवाल और अधिकृत प्रतिनिधि श्री विनोद पारीख बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

4.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स एक्सेलरेट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के दिनांक 25.04.2024 के एलओए में 30.06.2024 तक की अवधि के लिए 'एचएस कोड 12077090 - अन्य-खरबूजे के बीज' को शामिल करने के मेसर्स एक्सेलरेट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालाँकि यह विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना संख्या 05/2023 दिनांक 05.04.2024 में निर्धारित आयात शर्तों की पूर्ति के अधीन है।

मद संख्या 5: इकाई के अनुमोदन पत्र की शर्त को हटाने का अनुरोध:-

5.1 मेसर्स एक्सेलरेट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

5.1.1 मेसर्स एक्सेलरेट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री संदीप टी. शेजवाल और अधिकृत प्रतिनिधि श्री विनोद पारीख बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में विस्तार से बताया। प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके अधिकांश ग्राहक डीटीए में कारोबार कर रहे हैं।

24/5/24

5.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और विचार-विमर्श के बाद इकाई के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वे अपने ग्राहकों से सहमति पत्र के साथ-साथ उन वस्तुओं की सूची भी प्रस्तुत करें जिनकी वे डीटीए बिक्री करेंगे।

मद संख्या 6 : इकाई के निष्पादन की निगरानी:-

6.1 मेसर्स विप्रो लिमिटेड (इकाई-I)

6.1.1 मेसर्स विप्रो लिमिटेड (इकाई-I), ग्रेटर नोएडा (यूपी.) के प्लॉट नंबर 2, 3 और 4, सेक्टर-नॉलेज पार्क-IV में स्थित आईटी/आईटीईएस एसईजेड विप्रो लिमिटेड की एक इकाई ने 30.06.2023 को 5 साल का तीसरा ब्लॉक पूरा कर लिया है। पिछले ब्लॉक के लिए एपीआर के अनुसार इकाई के वर्ष-वार निर्यात प्रदर्शन और एनएफई आय की स्थिति, एनएसईजेड सीए इकाई द्वारा विधिवत सत्यापित, निम्नानुसार है:-

(रुपये लाख में)

वित्तीय साल	निर्यात का एफओबी मूल्य	विदेशी मुद्रा व्यय	एनएफई आय	डीटीए बिक्री
2018-19 (01.07.2018 to 31.03.2019)	40171.38	281.61	39889.77	115.10
2019-20	32708.34	183.29	32525.05	778.05
2020-21	39002.89	222.28	38780.61	494.94
2021-22	37291.50	233.69	37057.81	1163.42
2022-23	30811.90	259.70	30552.20	221.08
कुल	179986.01	1180.57	178805.44	2772.59

6.1.2 समिति को बताया गया कि इकाई ने डीटीए बिक्री का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:-

(रुपये लाख में)

साल	डीटीए बिक्री (रुपये में)	विदेशी मुद्रा में डीटीए बिक्री	डीटीए बिक्री
2018-19 (01.07.2018 to 31.03.2019)	-	115.10	115.10
2019-20	33.67	744.38	778.05
2020-21	52.78	442.16	494.94
2021-22	269.89	893.53	1163.42
2022-23	206.13	14.95	221.08
कुल	562.47	2210.12	2772.59

6.1.3 समिति ने पाया कि इकाई ने वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान भारतीय रुपये में भुगतान के विरुद्ध डीटीए में 562.47 लाख रुपये की सेवाएं प्रदान की हैं, जो एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2(जेड) (iii) का उल्लंघन है।

6.1.4 मेसर्स विप्रो लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक श्री राजकुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया और मामले को स्पष्ट किया। उन्होंने स्वीकार किया कि इकाई ने भारतीय रुपये में भुगतान के बदले 562.47 लाख रुपये की डीटीए सेवाएं प्रदान की हैं।

(हस्ताक्षर)

6.1.5 अनुमोदन समिति ने नियम 54 के अनुसार इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और उचित विचार-विमर्श के बाद 31.03.2023 तक इकाई द्वारा अर्जित सकारात्मक एनएफई पर ध्यान दिया। इसके अलावा, समिति ने विकास आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी करने और एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2(जेड) का उल्लंघन करते हुए 562.47 लाख रुपये की डीटीए सेवाओं की बिक्री के मामले में विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 11(2) के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार दिया।

6.2 मेसर्स वर्वसेमी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड

6.2.1 ग्रेटर नोएडा (यूपी) के सेक्टर-टेकजोन-IV, प्लॉट नंबर 21 में अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड की एक इकाई मेसर्स वर्वसेमी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 30.12.2022 को 5 साल का पहला ब्लॉक पूरा कर लिया है। एनएसईजेड सीए इकाई द्वारा विधिवत सत्यापित वित्त वर्ष 2022-23 तक एपीआर के अनुसार इकाई का वर्षवार निर्यात प्रदर्शन और एनएफई आय की स्थिति निम्नानुसार है: -

(रुपये लाख में)

साल	निर्यात	विदेशी मुद्रा व्यय	एनएफई आय	डीटीए सेवाओं की बिक्री	लंबित विदेशी मुद्रा प्राप्ति
2017-18	195.89	45.74	150.15	0.00	0.00
2018-19	521.91	87.05	434.86	0.00	0.00
2019-20	783.27	197.08	586.19	0.00	0.00
2020-21	569.71	224.44	345.27	0.00	0.00
2021-22	694.20	207.10	487.10	0.00	0.00
कुल	2764.98	761.41	2003.57	16.62	0.00

दूसरा ब्लॉक:

साल	निर्यात	विदेशी मुद्रा व्यय	एनएफई आय	डीटीए सेवाओं की बिक्री	लंबित विदेशी मुद्रा प्राप्ति
2022-23	823.98	229.99	593.99	0.00	0.00
कुल	823.98	229.99	593.99	0.00	0.00

6.2.2 समिति ने पाया कि इकाई ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भारतीय रुपये में भुगतान के विरुद्ध डीटीए में 16.62 लाख रुपये की सेवाएं प्रदान की हैं, जो एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2(जेड) (iii) का उल्लंघन है।

6.2.3 मेसर्स वर्वसेमी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री राकेश मलिक और श्री प्रताप नारायण सिंह ने अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित होकर मामले की जानकारी दी। उन्होंने स्वीकार किया कि इकाई ने भारतीय रुपये में भुगतान के बदले 16.62 लाख रुपये की डीटीए सेवाएं प्रदान की हैं।

6.2.4 अनुमोदन समिति ने नियम 54 के अनुसार इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और उचित विचार-विमर्श के बाद 31.03.2023 तक इकाई द्वारा अर्जित सकारात्मक एनएफई पर ध्यान दिया। इसके अलावा, समिति ने विकास आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी करने और एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2(जेड) का उल्लंघन करते हुए 16.62 लाख रुपये की डीटीए सेवाओं की बिक्री के मामले में विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 11(2) के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार दिया।

मद संख्या 7: निदेशकों के परिवर्तन की सूचना:-

7.1 मेसर्स विप्रो लिमिटेड (विकासक और 4 एसईजेड इकाइयां)



7.1.1 मेसर्स विप्रो लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक श्री राजकुमार सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और मामले की जानकारी दी।

7.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) के नॉलेज पार्क-IV के प्लॉट संख्या 2, 3 और 4 में आईटी/आईटीईएस एसईजेड के विकासक मेसर्स विप्रो लिमिटेड के निदेशकों और उसी एसईजेड में स्थित मेसर्स विप्रो लिमिटेड की चार इकाइयों में निम्नलिखित परिवर्तनों पर ध्यान दिया। यह वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार है, और इसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन है: -

पिछले निदेशक	वर्तमान निदेशक
1. श्री रिशाद ए प्रेमजी	1. श्री रिशाद ए प्रेमजी
2. श्री अजीम हशम प्रेमजी	2. श्री अजीम हशम प्रेमजी
3. डॉ. पैट्रिक जॉन एनिस	3. डॉ. पैट्रिक जॉन एनिस
4. श्री पैट्रिक लुसिएन आंद्रे डुपुइस	4. श्री पैट्रिक लुसिएन आंद्रे डुपुइस
5. श्री थिएरी डेलापोर्टे	5. श्री दीपक माधव सातवालेकर
6. श्री दीपक माधव सातवालेकर	6. श्री कन्नन नारायणन श्रीनिवास
7. श्री कन्नन नारायणन श्रीनिवास	7. सुश्री तुलसी नायडू
8. सुश्री तुलसी नायडू	8. सुश्री पैवी रेकोनेन
9. सुश्री पैवी रेकोनेन	9. श्री श्रीनिवास पल्लिया

7.2 मेसर्स कालकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

7.2.1 मेसर्स कालकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक (लॉजिस्टिक्स एवं अनुपालन) श्री गणेश एस. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और मामले की जानकारी दी।

7.2.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्लॉट संख्या 20 7 21, सेक्टर-135, (यूपी) में सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आईटी/आईटीईएस एसईजेड में स्थित अपनी इकाई के संबंध में मेसर्स कालकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में निम्नलिखित परिवर्तनों पर ध्यान दिया। यह वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार है, जो उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन है: -

पिछले निदेशक	वर्तमान निदेशक
1. श्री शशिधर रेड्डी मुथुकुरु	1. श्री शशिधर रेड्डी मुथुकुरु
2. श्री रवि वेलिदंडा राव	2. श्री रवि वेलिदंडा राव
3. श्री जिंगू सायरा जैकब	3. श्री जिंगू सायरा जैकब
4. श्री श्रीनिवास मद्दाली	4. श्री श्रीनिवास मद्दाली
5. श्री राजेन कांजीभाई वागड़िया	

7.3 मेसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (विकासक और इकाई)

7.3.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्लॉट संख्या 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (यूपी) में आईटी/आईटीईएस एसईजेड के विकासक मेसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और इस एसईजेड में स्थित मेसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की पावर प्लॉट इकाई के निदेशकों में निम्नलिखित परिवर्तनों पर ध्यान दिया। यह वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार है, जो उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन है: -



पिछले निदेशक	वर्तमान निदेशक
1. श्री आलोक अग्रवाल 2. श्री मुनीश दयाल माथुर 3. श्री दीपक गुप्ता	1. श्री मुनीश दयाल माथुर 2. श्री अंकित गुप्ता

7.3.2 यह इस शर्त के अधीन है कि विकासक/इकाई कंपनी के शेरधारिता स्वरूपमें परिवर्तन, यदि कोई हो, का CA प्रमाणित विवरण प्रस्तुत करेगी।

मद संख्या 8: सुविधा प्रदाताओं को स्थान आवंटन हेतु प्रस्ताव:

8.1 मेसर्स गोल्डन टॉवर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, विकासक।

8.1.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और समुचित विचार-विमर्श के बाद प्लॉट संख्या 8, सेक्टर-144, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में आईटी/आईटीईएस एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में कैफेटेरिया, बिल्डिंग संख्या बी-1 के भूतल, काउंटर संख्या 9 पर 200 वर्ग फीट निर्मित स्थान को मेसर्स वाशु किचन, गाजियाबाद को पट्टे के आधार पर आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह एसईजेड नियम, 2006 के नियम 11(5) के अनुसार 'उत्तर भारतीय भोजन दुकान' स्थापित करने और संचालित करने के लिए है। यह स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि मेसर्स वाशु किचन को एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी सुविधाओं को स्थापित करने, संचालित करने और बनाए रखने के लिए कोई कर/शुल्क लाभ उपलब्ध नहीं होगा। मेसर्स वाशु किचन को एसईजेड परिसर में ऐसी सुविधा के निर्माण और संचालन के लिए, जहाँ भी लागू हो, संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र/मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इस सुविधा का उपयोग विशेष रूप से एसईजेड और उसमें स्थित इकाइयों के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा।

मद संख्या 9: प्लॉट संख्या 06, सेक्टर-टेकजोन, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में आईटी/आईटीईएस एसईजेड के विकासक, मेसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड के संवर्धक के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई।

9.1.1 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि व्हिसल ब्लोअर से इस कार्यालय को एक ई-मेल प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया है कि मेसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड (मिगसन ग्रुप) के संवर्धक ने प्लॉट संख्या टीजेड-06, सेक्टर-टेकजोन, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में आईटी/आईटीईएस एसईजेड की भूमि और निर्मित क्षेत्र को बेचना शुरू कर दिया है, जो एसईजेड नियम, 2006 के नियम 11 (9) का उल्लंघन है। यह बताया गया है कि विकासक ने सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति लिए बिना अधिसूचित एसईजेड भूमि पर मिगसन सेंट्रल मार्केट, मिगसन नेहरू प्लेस-1, मिगसन नेहरू प्लेस-2 और मिगसन नेहरू प्लेस-3 के नाम से चार वाणिज्यिक परियोजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, 06.05.2024 को ग्रेटर नोएडा के अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड एसईजेड में एक इकाई मेसर्स विद्यामंत्र एडुसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री जय गुप्ता को विकासक के खिलाफ औपचारिक शिकायत के रूप में एक और ईमेल भेजा गया। शिकायतकर्ता ने उपरोक्त परियोजनाओं के संबंध में आरईआरए पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां उपलब्ध कराई हैं।

9.1.2 एसईजेड के प्राधिकृत अधिकारी ने बताया कि विकासक ने एसईजेड के गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। यह भी बताया गया कि विकासक इन परियोजनाओं के लिए अग्रिम राशि ले रहे हैं।

9.1.3 आगे बताया गया कि उनके खिलाफ उपरोक्त शिकायतें प्राप्त होने के बाद, विकासक, मेसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 10.05.2024 के माध्यम से सूचित किया है कि उन्होंने जीएनआईडीए को अनुमोदन के लिए भवन योजनाएं प्रस्तुत की हैं और पत्र संख्या पीएलजी/बीपी/एसएम-29-दिसंबर-2022-16740 दिनांक 18.10.2023 के माध्यम से क्षेत्र में भवन योजनाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। विकासक ने बताया कि इस खाका में वे गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में प्लॉट नंबर सी-1 पर निर्माण शुरू करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस प्लॉट पर प्रवेश गेट नंबर 2 से होगा और यह वर्तमान प्रसंस्करण क्षेत्र से भौतिक रूप

से बाहर होगा। इस प्लॉट का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए है और वे इस परियोजना के लिए निर्माण सामग्री पर किसी छूट का दावा नहीं करेंगे। विकासक ने इसके लिए अनुमति देने का अनुरोध किया है ताकि वे निर्माण शुरू कर सकें।

9.1.4 इसके अलावा, विकासक, मेसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड ने 09.05.2024 को एक अन्य पत्र के माध्यम से फॉर्म सी-6 में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें एसईजेड के अधिसूचित क्षेत्र को पूरी तरह से अधिसूचना करने की मांग की गई थी। हालांकि, विकासक ने एसईजेड का अधिसूचित क्षेत्र 15.176 हेक्टेयर दिखाया है, जबकि उक्त एसईजेड का कुल अधिसूचित क्षेत्र 30.41 हेक्टेयर (304053.46 वर्गमीटर) है। इसके अलावा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (जीएनआईडीए), मेसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड (विकासक) और मेसर्स अर्थ आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (सह-विकासक) के बीच निष्पादित त्रिपक्षीय उप-लीज समझौते के अनुसार 135,113.866 वर्ग मीटर भूमि को सह-विकासक, मेसर्स अर्थ आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को उप-पट्टे पर दिया गया है।

9.1.5 मेसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड के सीएफओ श्री पवन कुमार और उपाध्यक्ष श्री महेश पटेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में विस्तार से बताया। प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने इस एसईजेड में स्थित सभी इकाइयों से अनुरोध किया है कि वे अपनी इकाई को एसईजेड से अलग कर लें।


9.1.6 समिति ने पाया कि विकासक ने एसईजेड को पूरी तरह से अधिसूचना रद्द करने का प्रस्ताव रखा था, जबकि दूसरी ओर उन्होंने एसईजेड के गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में निर्माण के लिए स्वीकृति देने का अनुरोध भी प्रस्तुत किया था, जो कि स्वयं विरोधाभासी है। इसके अलावा, एसईजेड को अधिसूचना रद्द करने से पहले, एसईजेड में सभी मौजूदा स्वीकृत/संचालित इकाइयों को बंधन-विच्छेद/बाहर निकलना आवश्यक है। इसके अलावा, विकासक एसईजेड नियम, 2006 के नियम 11ए के अनुसार अनुमोदन बोर्ड से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना एसईजेड के गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में कोई भी निर्माण गतिविधि शुरू नहीं कर सकता है।

9.1.7 अनुमोदन समिति ने मामले पर विस्तार से चर्चा की और विकासक के प्रतिनिधि को बताया कि एसईजेड को केवल एसईजेड में स्वीकृत सभी एसईजेड इकाइयों के बंधन-विच्छेद के बाद ही अधिसूचना किया जा सकता है। इसके अलावा, विकासक को एसईजेड नियम, 2006 के नियम 11ए के अनुसार एसईजेड के दोहरे उपयोग वाले गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अनुमोदन बोर्ड से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। एसईजेड में शुल्क भुगतान वाले दोहरे उपयोग वाले गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए क्षेत्र प्रतिबंध एसईजेड नियम, 2006 के नियम 11ए(3)(सी) में निर्धारित किया गया है। उचित विचार-विमर्श के बाद, समिति ने विकासक के प्रतिनिधि को निर्देश दिया कि वे एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम, 2006 के प्रावधानों के साथ-साथ वाणिज्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक निर्देशों का पालन करेंगे। यदि विकासक अपने कब्जे वाले क्षेत्र को आंशिक रूप से अधिसूचना करना चाहता है, तो विकासक को एसईजेड के इस हिस्से में स्थित सभी इकाइयों को बंधन-विच्छेद करने के बाद एसईजेड के आंशिक अधिसूचना के लिए फॉर्म-सी5 में प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। समिति ने इस मामले पर कानूनी राय लेने का फैसला किया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।



(श्री ग्या प्रसाद,
उप विकास आयुक्त


(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त